

Telephone E-Mail FAX

: 044 – 28519654, 28415702 : investor@iobnet.co.in

: 044 - 28585675

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केन्द्रीय कार्यालय- पोस्ट बॉक्स सं 3765, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office: P.B.No.: 3765, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

Investor Relations Cell IRC/ 2 6/2018-19

05.10.2018

The Senior General Manager
Department of Corporate Services

BSE Limited

Floor 25, P J Towers

Dalal Street

Mumbai - 400 001

The Vice President

National Stock Exchange of India Ltd

"Exchange Plaza", C-1, Block G

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Dear Sir/Madam,

Extraordinary General Meeting (EGM) to be held on 02.11.2018 for Issue of Equity Shares to Government of India (GOI) on Preferential Basis

With reference to our letter dated 03.10.2018 we wish to inform that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of our Bank will be held on 2nd November 2018, to create, offer, issue and allot 137,30,10,821 (One Hundred and Thirty Seven Crores Thirty Lakhs Ten Thousand Eight Hundred and Twenty One) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 15.71 per equity share (including premium of Rs. 5.71 per equity share) aggregating up to Rs.2157 crore (Rupees Two Thousand One Hundred and Fifty Seven Crore only) as determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations on preferential basis to Government of India (President of India).

The bank has fixed 25th October, 2018 as the cut-off date. The Remote evoting period commences on 30th October 2018 at 9:00 A.M. (IST) and ends on 1st November 2018 at 5 P.M. (IST).

In this regard, we enclose soft copy of Notice for Extraordinary General Meeting for your reference and uploading the same in your website.

Please take the above information on record.

Thanking you

Yours faithfully

Deepa Chellam

Company Secretary



Good people to grow with

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस 2 नवंबर 2018, चेन्नै

Notice for
Extraordinary
General Meeting
2nd November 2018, Chennai



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

. केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक शुक्रवार 2 नवम्बर 2018 को सुबह 10.00 बजे, रानी सीतै हाल, 603 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 006 में निम्नलिखित कार्य हेत् आयोजित की जाएगी:

 निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों)पर विचार करना और उचित समझे जाने पर विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003, यथा संशोधित 2008 (विनियमन), तक के अनुसरण में और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति और मंज्री, यदि कोई हो तो उसकी शर्त पर और उनके द्वारा ऐसे अनमोदनों को प्रदान करने में निर्धारित किए गए नियमों, शर्तों और उनके संशोधनों के अधीन जिससे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और विनियमों जैसे सेबी (पुँजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 सेबी (आइ सी डी आर विनियम) आज की तिथि तक यथा संशोधित सेबी (शेयरों व टेकओवरों के पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन 2011 (एसएसीटी विनियमन) दिशानिर्देशों यदि कोई भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949(बीआर एक्ट) के तहत अधिसूचनाओं / परिपत्रों व स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियमम), के अंतर्गत और अन्य सभी उपयुक्त प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर एवं सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 (एलओडीआर विनियमन) के निर्धारित विनियमों के अधीन और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए युनिफॉर्म लिस्टिंग करार के अधीन जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति को बैंक के निदेशक मंडल (आगे से जिसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या आगे किया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार भी शामिल हैं) की सहमति एतद्द्वारा दी जाती है कि वो भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को सेबी (आइसीडीआर) विनियमों के विनियम 76(1) के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर रुपए 2157 (रु दो हजार एक सौ सत्तावन करोड मात्र) की हद तक बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार रुपए 15.71 प्रति इक्विटी शेयर (रुपए 5.71 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम दर पर नकद के बदले रुपए 10 प्रति शेयर (रुपए दस मात्र) के हिसाब से 137.30.10.821(एक सौ सैंतीस करोड़ तीस लाख दस हजार आठ सौ इक्कीस) ईक्विटी शेयरों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित करे।

Indian Overseas Bank

Central Office 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Friday, 2nd November 2018 at 10.00 a.m. at Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai, Chennai 600 006, to transact the following business:

1. To consider and if thought fit to pass the following resolution(s) as **Special Resolution(s)**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act) and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended up to 2008 (Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) as amended up to date, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (SAST Regulations), guidelines, if any, prescribed by RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (SEBI Act) and all other relevant authorities from time to time and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot up to 137,30,10,821 (One Hundred and Thirty Seven Crores Thirty Lakhs Ten Thousand Eight Hundred and Twenty One) equity shares of Rs. 10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs. 15.71 per equity share (including premium of Rs. 5.71 per equity share) aggregating up to Rs.2157 crore (Rupees Two Thousand One Hundred and Fifty Seven Crore only) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations on preferential basis to Government of India (President of India)."



आगे संकल्प किया जाता है कि इश्यू कीमत निर्धारित करने की संबंधित तिथि 03 अक्तूबर 2018 है।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमित के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमितयों और मान्यता / मंजूरी देते समय भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी संशोधन करे।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक(कों) या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(आर सुब्रमण्यकुमार)

दिनांक : 03.10.2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

नोट्स:

स्थान : चेन्नै

1.बैठक की कार्यवाही के संबंध में तथ्यात्मक विवरण से संबंधित व्याख्यात्मक कथन अनुबंध में संलग्न हैं:

2. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए पात्र शेयरधारक स्वयं अपने स्थान पर उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्राक्सी को नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक हो, यह जरूरी नहीं है।

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 3rd October 2018."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions for issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors For Indian Overseas Bank

College

Place: Chennai (R SUBRAMANIAKUMAR)

Date: 03.10.2018 Managing Director & CEO

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.



प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को शाम 5:00 बजे कार्य समाप्ति तक या उससे पहले बैंक के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक िक उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्यापित प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठक की नियत तारीख से चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, दिनांक 26 अक्तूबर 2018 को शाम 5:00 बजे कार्य समाप्ति तक या उससे पहले बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिए।

4.बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शेयर धारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

5.उपस्थित पर्ची

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थित पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षियों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारक के "परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि" द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परोक्षी या प्रतिनिधि जैसी भी स्थित हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

6. अदावी लाभांश. यदि कोई हो

2011-2012 के बाद से जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वॉरण्ट को नहीं भुनाया/ लाभांश नहीं प्राप्त किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अनुलिपि वारंट जारी करने के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेण्ट से संपर्क करें।

अधिनियम की धारा 10 बी में हुए संशोधन के अनुसार अदावी लाभांश खाते में अन्तरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए भुगतान न किए गए या अदावी शोष लाभांश की रकम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई ई पी एफ) में अन्तरित करनी है।

7. पते में परिवर्तन

जिन शेयरधारकों के शेयर भौतिक रूप में हैं, उन मामलों में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन को निम्नलिखित पते पर, रजिस्टार-व शेयर-अंतरण एजेंट को भेज दें:

मेसर्स कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड (आइओबी-यूनिट)

5वां तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,

नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002.

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले जो शेयरधारक, अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन की सूचना अपने डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें। The instrument appointing proxy should be deposited at the Central Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting ie. on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday, 26th October 2018.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Central Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday, 26th October 2018.

4. No officer or employee of the Bank shall be appointed as an Authorised Representative or proxy of a shareholder.

5. ATTENDANCE SLIP

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend from 2011-2012 onwards are requested to contact the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for issue of duplicate.

Pursuant to the amendment of the Act, Section 10B provides that the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013 (Section 205C of The Companies Act, 1956).

7. CHANGE OF ADDRESS

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate any change in their address to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank

M/s. Cameo Corporate Services Ltd. (Unit - IOB)

5th floor, Subramanian Building,

No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address.



8. फोलियों का समेकन

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानि विविध फोलियो रखते हैं। कुशल सेवा प्रदान करने के लिए हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को हमारे रिजस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट को उनके रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेजते हुए फोलियो का समेकन करें।

9. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। बीआर अधिनियम, अधिनियम में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

10. रिमोट ई-वोटिंग

सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन एलओडीआर विनियम 2015 के विनियम 44 एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए मेसर्स सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेउ (सीडीएसल) को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित ईक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए गुरुवार, 25 अक्तूबर 2018 अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

11. 2 नवंबर 2018 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जिरए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्त के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

12. वोटिंग परिणाम

बैंक ने मेसर्स आर श्रीधरन एंड ऐसोसिएट्स, कंपनी सचिव को बैठक में रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और भौतिक वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सही प्रकार से आयोजित करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

संवीक्षक ईजीएम में वोटिंग की समाप्ति के बाद 48 घंटे की भीतर बैठक के अध्यक्ष को विशेष संकल्प के पक्ष में या विरुद्ध में डाले गए कुल वोट का समेकित रिपोर्ट जारी करेंगे।

वोटिंग परिणाम बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों और बैंक की वेबसाइट और सीडीएसएल ई-वोटिंग ऐजेंसी में घोषित करेगा।

8. CONSOLIDATION OF FOLIOS

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (i.e.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

9. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, BR Act, which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

10. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, (LODR) and the Uniform Listing Agreement with stock exchanges, your Bank is pleased to provide remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as remote e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on **Thursday, 25th October 2018 being the Cut-off Date** for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

11. VOTING PROCESS ON 2ND NOVEMBER 2018

After the agenda item has been discussed, the Bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by the Scrutinizer appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

12. VOTING RESULT

The Bank has appointed M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and the physical voting process at the meeting in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, within forty eight hours of the conclusion of the EGM, issue a consolidated Report of the total votes cast in favour of or against the Special Resolution to the Chairman of the meeting.

The Voting Results will be announced by the Bank to the stock exchanges, hosted in the websites of the Bank and CDSL, the e-voting agency.



रिमोट ई-वोटिंग के लिए अन्देश निम्न प्रकार से हैं:

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

- (i) वोटिंग की अवधि 30 अक्तूबर 2018 को सुबह 9.00 बजे (आइएसटी) शुरु होकर 1 नवंबर 2018 को शाम 5:00 बजे समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप से या बेकागज़ीकृत रूप में कटऑफ की तिथि 25 अक्टूबर 2018 को धारित किए हुए हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यल को असमर्थ कर दिया जाएगा।
- ii) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।
- (iii) शेयरहोल्डर्स पर क्लिक करें।
- (iv) अब अपनी यूज़र आइडी प्रविष्ट करें
 - क. सीएसडीएल के लिए : 16 अंकों का लाभकर्ता आइडी
 - ख. एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाएंट आइडी
 - ग. भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले सदस्यों को कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।
- (V) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लॉग इन पर क्लिक करें।
- (vi) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में हैं और आप <u>www.evotingindia.com</u> पर लॉग आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपको मौजदा पासवर्ड इस्तेमाल करना है।
- (Vii) यदि आप प्रथम बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिए कदमों का पालन करें :

डीमैट और भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के लिए

पैन

आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू)

- सदस्य जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले दो अक्षरों और पैन फील्ड में सिक्वेंस संख्याओं के 8 अंक का प्रयोग करें।
- यदि सिक्वेंस संख्या 8 अंकों से कम है तो संख्या से पहले और अपने नाम के दो अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखने के बाद जितनी संख्याओं की आवश्यकता हो उतने '0' (शून्य) प्रविष्ट करें यानि यदि आपका नाम रमेश कुमार है और सिक्वेंस संख्या 1 है तब पैन फील्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instructions below to cast their vote through e-voting:

- (i) The e-voting period begins on 30th October 2018 at 9.00 a.m.(IST), and ends on 1st November 2018 at 5.00 p.m.(IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 25th October 2018 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website **www.evotingindia.com**.
- (iii) Click on Shareholders.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to **www.evotingindia.com** and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN

Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders)

- Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field.
- In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA000000001 in the PAN field.



लाभांश बैंक
विवरण या
जन्म तिथि
(डीओबी)

लॉग इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में या कंपनी में दर्ज़ है।

- यदि दोनों विवरण डिपॉज़िटरी या कंपनी के पास दर्ज़ नहीं हैं तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (iV) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आइडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।
- (Viii) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबिमट" टैब पर क्लिक करें।
- (iX) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रिन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुंचेंगे यहां उन्हें अपना लॉग इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट करने के लिए पात्र हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती हैं। यह ज़ोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।
- (X) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।
- (Xi) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।
- (Xii) वोटिंग पेज पर आपको "रिजॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन" दिखाई देगा और उसी विकल्प में वोटिंग के लिए "यस/ नो" का विकल्प मिलेगा। अपनी इच्छा अनुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का मतलब होगा कि आप संकल्प के पक्ष में हैं और विकल्प नो का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत नहीं है।
- (Xiii) यदि आपको पूरा संकल्प विवरण देखना है तो ''रिजॉल्यूशन फाइल लिंक'' पर क्लिक करें।
- (XiV) वोट के लिए संकल्प का चयन करने के बाद "सबिमट" पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदन्सार अपना वोट बदलें।
- (XV) संकल्प पर एक बार अपने वोट की "पुष्टि" करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- (XVI) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।
- (XVII) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग इन पासवर्ड भूल गया

Dividend Bank Details

OR Date of Birth (DOB)

Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.

- If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).
- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Indian Overseas Bank.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then enter the User ID and the image

8



है तो उसे यूज़र आइडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

- (XVIII) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम-वोटिंग के जिए भी डाल सकते हैं जो एंड्रॉएड आधारित मोबाइल पर उपलब्ध है। एम वोटिंग एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एपल और विंडोज़ फोन इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ता एप स्टोर या विंडोज़ फोन स्टोर से क्रमशः एप को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।
- (XiX) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट
 - गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक,एचयूएफ, एनआरआइ इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को <u>www.</u> <u>evotingindia.com</u> पर लॉग इन करना होता है और खुद को कॉरपोरेट के तौर पर पंजीकृत कराना होता है।
 - पंजीकरण फॉर्म की स्कैन्ड प्रति जिस पर ईकाई का स्टैंप और हस्ताक्षर अंकित होता है उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल किया जाएगा।
 - लॉग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडिमन लॉग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
 - लॉग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
 - बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जांच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
 - यदि ई-वोटिंग के सम्बन्ध में आपके प्रश्न हैं या मामले हैं तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्नों ("एफएक्यू") और <u>www.evotingindia.com</u> पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> को मेल कर सकते हैं या सीडीएसएल को 1800225533 पर संपर्क कर सकते हैं।
 - जो लोग रीमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण अनुभाग में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार 2 नवंबर 2018 को होने वाली बैठक में मतदान के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं।

- verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non Individual Shareholders and Custodians
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to <u>www.evotingindia.com</u> and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a Compliance
 User should be created using the admin login and
 password. The Compliance User would be able to
 link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts linked in the login should be mailed to <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
 - In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact CDSL at 1800225533
 - Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 2nd November 2018 as per the procedure stated elsewhere in this Notice.



 बैंक की असाधारण सामान्य बैठक के दिन या उसके बाद ई-वोटिंग के परिणाम घोषित किए जाएंगे। घोषित परिणाम को संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम के दो दिनों के बाद बैंक की वेबसाइट यानि <u>www.iob.in</u> और सीडीएसएल की वेबसाइट यानि <u>https://www.evotingindia.com</u> पर डाला जाना चाहिए और एनएसई / बीएसई को भी सूचित किया जाना चाहिए।

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

> > ~~~

स्थान : चेन्ने (आर सुब्रमण्यकुमार)

दिनांक : 03.10.2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

अध्याय VII सेबी (आइ सी डी आर) विनियम, 2009 के अनुसरण में किए जाने वाले अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल III अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि करने की लगातार आवश्यकता है। भारत सरकार (जीओआई) ने सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर बैंक में अतिरिक्त ईक्विटी पूंजी डालने का प्रस्ताव दिया है। जुटाई गई पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढ़ाने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं की वित्तीय पूर्ति करने में किया जाएगा।

वर्तमान में बेंक की प्राधिकृत पूँजी रु 10000 करोड़ है एवं बेंक की पैड-अप इक्विटी शेयर पूँजी रु 4890.77 करोड़ है।

- ए. प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार- बैंक के प्रवर्तक द्वारा अंशदानित किया जाएगा और बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति इश्यू क्रय की मंशा नहीं रखेगा।
- बी. भारत सरकार के पत्र दिनांकित 12-07-2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी निवेश के रूप में बैंक के इक्षिविटी शेयरों के (विशेष प्रतिभूतिया/ बांड) अधिमानी आबंटन में केन्द्र सरकार के योगदान हेतु रु.2157 करोड (रु दो हजार एक सौ सत्तावन करोड मात्र) को जारी करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी को सूचित किया गया था। भारत सरकार ने 23-07-2018 को बैंक के आरबीआइ के खाते में निधि जमा भी की है।

• The Results of the e-voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of CDSL i.e. https://www.evotingindia. com within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

> By Order of the Board of Directors For Indian Overseas Bank

Place: Chennai (R SUBRAMANIAKUMAR)

Date: 03.10.2018 Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF CHAPTER VII SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India (GOI) has infused additional equity capital into the Bank as part of its commitment to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

At present, the Authorised Capital of the Bank is Rs. 10000 crore and the paid-up Equity Share Capital of the Bank is Rs. 4890.77 crore.

- a) The proposed offer of equity shares will be subscribed by GOI the Promoter of the Bank and none of the Directors or Key Management Persons of the Bank intend to subscribe to the Issue.
- b) GOI vide their letter dated 12.07.2018 has conveyed the sanction of the President of India for release of Rs.2157 crore (Rupees Two Thousand One Hundred Fifty Seven Crore Only) towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares (Special Securities / Bonds) of the Bank during the financial year 2018-19, as Government's investment. GOI has also remitted the funds in the Bank's RBI account on 23.07.2018.



सी. इश्यू से पहले और बाद का शेयरधारिता पैटर्न निम्नवत होगा:

Shareholding Pattern before and after the Issue will be as below:

क्रम सं. Sl.	प्रवर्ग	इश्यू के पहले		इश्र	पू के बाद
No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding	धारित शेयरों की No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding
A.	प्रमोटरों की धारिता: Promoter's Holding:	4200004200	20.74	57(2005110	01.00
	भारत सरकार GOI	4389084289	89.74	5762095110	91.99
В.	गैर प्रमोटरों की धारिता: Non Promoter Holding:				
	पब्लिक Public	501685686	10.26	501685686	8.01
	कुल योग Grand Total	4890769975	100.00	6263780796	100.00

- डी सेबी (आइसीडीआर) विनियम 2009, यथासंशोधित अनुसार, में सूचित निर्धारित समय के अंदर ही इश्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए बैंक प्रयासरत है।
- ई जैसा कि इश्यू केवल भारत सरकार के लिए बनाया जाएगा, जो कि बैंक का मुख्य शेयरधारक एवं प्रवर्तक है इसलिए नियंत्रण में कोई भी बदलाव नहीं होगा।

भारत सरकार की इश्यू के पहले एवं इश्यू के बाद शेयरधारिता निम्नवत होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी को प्रतिशत
इश्यू के पहले	4389084289	89.74
इश्यू के बाद	5762095110	91.99

- एफ. बैंक का ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध है व तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान व सेबी आईसीडीआर (विनियमन) 2009 के विनियम 73 (1) (एफ) व (जी) के प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।
- जी. निर्गम मूल्य अधिमानी शेयरों के लिए लागू विनियमन जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के चैप्टर VII के आज दिनांक तक के संशोधन के अनुसार हैं, निर्धारित हुआ है।
- एच सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इश्यू को जारी किया गया है, को असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

- d) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- e) As the issue is proposed to be made only to GOI, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the GOI would be as under:

	Number of	Percentage to
	Shares	Capital
Pre Issue	4389084289	89.74
Post Issue	5762095110	91.99

- f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- g) The issue price has been determined in accordance with the Regulations as applicable for Preferential Issues as contained in Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations as amended upto date.
- h) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be available at the Extraordinary General Meeting.

- आइ. स्टॉक एक्सचेंजों, के साथ हुए सूची करार में विनिर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक लगातार अनुपालन कर रहा है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।
- जे. अधिमानीय निर्गम पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानि भारत सरकार को अधिमानी आधार पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग स्वीकृति से तीन वर्ष तक के लिए लॉक-इन रहेंगे।
- के. भारत सरकार की अधिमानीय-पूर्व संपूर्ण धारिता उपयुक्त तिथि से शुरू हो कर ईक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदत्त ट्रेडिंग स्वीकृति की तिथि तक छह महीने की अविध के लिए लॉक-इन रहेगी।
- एल. उपयुक्त तिथि से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचे हैं।
- एम. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 व स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के सम्बन्ध में, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियमन 109 व सेबी (आइसीडीआर) विनियमन 2009 के विनियमन 72 के अनुसरण में अधिमानीय आधार पर शेयरों को जारी करने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन लिया जा रहा है।
- एन. बैंक वचन देता है कि सेबी (आइसीडीआर) विनियम 2009 के सम्बन्ध में जहां भी आवश्यकता होगी ईक्विटी शेयरों की कीमत पुनर्गणना करेगा।
- ओ. बैंक वचन देता है कि पुनर्गणना की वजह से यदि देय राशि विनियमों में निर्धारित समयाविध के भीतर प्रदत्त नहीं होती है तब विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ लॉक-इन रहेंगी जब तक कि वह राशि आबंटिती द्वारा प्रदान नहीं कर दी जाती है।

नोटिस के मद संख्या 1 में विहित विशिष्ट संकल्प की संस्तुति आपके निदेशकों द्वारा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

- SKmon

स्थान : चेन्नै (आर सुब्रमण्यकुमार) दिनांक : 03.10.2018 प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

The Bank is in compliance with the conditions of

- j) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the promoters i.e., GOI shall be subject to a lock-in of three years from the date of Trading Approval.
- k) The entire pre-preferential holding of GOI will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of Trading Approval granted by the Stock Exchange to the proposed issue of equity shares.
- The GOI has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges, pursuant to Regulation 109 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 approval of shareholders is being sought by way of a Special Resolution for issue of shares on preferential basis.
- n) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 where it is required to do so.
- o) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in, till the time such amount is paid by the allottee.

Your directors recommend the Special Resolution as set out in Item No.1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors For Indian Overseas Bank

- Elmon

Place: Chennai (R SUBRAMANIAKUMAR)

Date: 03.10.2018 Managing Director & CEO



इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763.अण्णा सालै.चेन्नै 600002

प्रॉक्सी (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरने व हस्ताक्षरित करने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपीआइडी व क्लाइंट आइ डी
(यदि बेकागजीकृत है)

में / हम	
[^] मतीराज्य को इण्डिय	न ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की 2 नवम्बर 2018
को सुबह 10.00 बजे, रानी सीतै हाल, 603 अण्णा सालै, चेन्नै - 600006 में होने वाली असाधा	रण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमां
लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ / करती हूँ / करते हैं	f i
आज वर्ष 2018 केमाह केदिन हस्ताक्षरित	कृपया रु 1/- का रेवेन्यू स्टैम्प चिपकाएं
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर
नाम :	
पता :	

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- 1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
 - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
- 2. किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।

प्रॉक्सी के साथ-साथ

- 3. क. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
 - ख. मुख्तारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात शुक्रवार, 26 अक्तूबर 2018 को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
- 4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
- 5. बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
- 6. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजर किए गए प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक ही फार्म निष्पादित किया जाना है।
- 7. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सों का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- 8. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



Indian Overseas Bank

Central Office 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

PROXY (FORM 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

	Regd. Folio
	(If not dematerialised)
	DP ID & Client ID
	(If dematerialised)
I/We	resident(s) of
	in the district of in the State resident of as my / our proxy to ary General Meeting of the shareholders of Indian
Signature of Proxy	Signature of First named/Sole Shareholder
Name:	
Address:	
INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PRO 1. No instrument of proxy shall be valid unless 2) in the case of an individual shareholder, it is signed by hir	

- a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
- b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
- c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently stamped and signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- 3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the Company Secretary, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 05.00 p.m., the closing hours of the Bank on Friday, 26th October 2018.
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and it is in Form "B".
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

14



इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय,

कंद्रीय कार्यालय, 763,अण्णा सालै,चेन्नइ 600002

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्त्त की जानी है)

दिनांक 2		2 नवम्बर 2018	
समय !		प्रात: 10:00 बजे	
स्थान		रानी सीतै हाल, 603 अण्णा सालै, चे	मैं - 600 006
पंजीकृत पृष्ठ संख्या (यदि		डीपीआइडी व ग्राहक आइ डी (यदि	
बेकागजीकृत नहीं है)		बेकागजीकृत है)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि व	के हस्ताक्षर		
मैं, 2 नवम्बर 2018 को चेन्नै में आयोजि	तत बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में ।	एतद्द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ	l
शेयरधारक/प्राक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600002


ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date		2 nd November 2018	
Time		10.00.a.m.	
Place		Rani Seethai Hall, 603 Anna Salai,	
		Chennai 600 006	
Regd. Folio No.		DP ID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(If share are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of the Shareholder / Proxy/ Representative present			

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank held on 2nd November 2018 at Chennai.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Authorised	
Representative	



वितरण न होने की स्थिति में निम्न पते पर वापस करें:

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. (यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) सुब्रमणियन बिल्डिंग

पांचवां तल, नं.1- क्लब हाउस रोड, चेन्नै- 600002 दूरभाष: 044-28460390 (6 लाइनें)/ 044-28460395 फैक्स: 044-28460129 ई मेल: cameo@cameoindia.com

If undelivered, please return to:

M/s Cameo Corporate Services Ltd (Unit INDIAN OVERSEAS BANK)

Subramanian Building, 5th Floor, No.1, Club House Road, Chennai 600 002

Tel: 044-28460390 (Six Lines)/ 044-28460395 Fax: 044-28460129 email: cameo@cameoindia.com



आपकी प्रगति का सच्चा साथी Good people to grow with http://www.iob.in